



# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, सोमवार, 01 अप्रैल, 2013 ई०

वै.सं. 11, 1935 शक संवत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 147/XXXVI(3)/2013/12(1)/2013

देहरादून, 01 अप्रैल, 2013

अधिसूचना

विषय

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित "उत्तराखण्ड विधिवत्ता परिवर्तन सेवाकर्मी और सेवा संस्था (हिंसा और सम्पत्ति के हानि का निवारण) विधेयक, 2013" पर दिनांक 28 मार्च, 2013 को अनुमति प्रदान की और यह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 21, वर्ष 2013 के रूप में सर्व-समापन को सुदृढार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड चिकित्सा परिचर्या सेवाकर्मी और सेवा संस्था  
(हिंसा और सम्पत्ति के हानि का निवारण) अधिनियम, 2013  
(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 21 वर्ष 2013)

चिकित्सा परिचर्या सेवाकर्मी और सेवा संस्थाओं में हिंसा और सम्पत्ति के हानि के निवारण हेतु उपलब्ध करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पौरसठवे वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नवत् रूप में अधिनियमित हो -

- संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ**
1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड चिकित्सा परिचर्या सेवाकर्मी और सेवा संस्था (हिंसा और सम्पत्ति के हानि का निवारण) अधिनियम, 2013 है।  
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा।  
(3) यह दुरुप प्रवृत्त होगा।

- परिचर्या**
2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -  
(क) "चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था" से लोगों को चिकित्सा परिचर्या उपलब्ध करने वाली वे सन्तत संस्थाएँ या सञ्चालित चिकित्सा, उपचार इकाईएँ एवं चिकित्सा उपचार केंद्रों सम्मिलित हैं, जो राज्य या क्षेत्रीय सरकार या स्थानीय निकायों आदि के नियन्त्रणधीन हैं और उसने सगुण व्यक्तियों को उपचार के लिये सुविधाएँ रखने वाला और उन्हें प्रवेश देने वाला या ठहराने के लिये प्रयुक्त कोई निजी अस्पताल, निजी प्रवृत्ति मूठ, जिसने सामान्यतया महिलाओं को तिरु जन्म या उससे सम्बन्धित किसी बात के संदर्भ में परितोष एवं प्रत्यापूर्णा और प्रत्यापूर्णा की परिचर्या के प्रयोजन के लिये प्रवेश दिया और ठहराया जाता है और किसी भी सम्पत्ति, हानि या हानिकारक कार्य वह सार्वजनिक हो या सार्वजनिक, से वीकृत व्यक्तियों को प्रवेश देने या ठहराने के लिये प्रयुक्त या प्रयुक्त किये जाने हेतु आशयित प्राइवेट नर्सिंग होम, जो उपचार या परिचर्या या दोनों उपलब्ध कराते हैं और उसने कोई प्रवृत्ति मूठ या आरोग्य मूठ आदि तथा एम्बुलेंस सेवा सम्मिलित है,

- (ख) किसी चिकित्सा परिषदा सेवा संस्था के संबंध में "चिकित्सा परिषदा सेवाकार्मियों" में गिनातिरिक्त सम्मिलित होने -
- (एक) चिकित्सा परिषदा सेवा संस्थाओं में कार्यरत रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा सहायकी, जिसने अनन्तम रूप से रजिस्ट्रीकृत चिकित्सक भी सम्मिलित है,
- (दो) रजिस्ट्रीकृत नर्स,
- (तीन) उपचारिका एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ता,
- (चार) प्रशिक्षित दाई,
- (पाँच) चिकित्सा छात्र,
- (छ) नर्सिंग छात्र और
- (सात) चिकित्सा परिषदा सेवा संस्थाओं में नियोजित और कार्यरत सह-चिकित्सा एवं अन्य सहकर्मि.
- (ग) "अपराधी" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो या तो स्वयं या व्यक्तिओं के किसी समूह या संगठन के किसी सदस्य या मुखिया के रूप में इस अधिनियम के अधीन कोई हिंसा कारित करता है या कारित करने का प्रयत्न करता है या उसका दुष्चरण करता है या उसे करने के लिये उकसाता है,
- (घ) "सम्पत्ति" से स्थावर एवं जंगम दोनों सम्पत्ति अभिप्रेत है,
- (ङ) "हिंसा" से चिकित्सा परिषदा सेवा संस्था में कर्मियों का निर्बन्धन करने वाले किसी भी चिकित्सा परिषदा कर्मि या रोगी को कोई अपहानि करने, हानि कारित करने या उसके जीवन को संकटापन्न करने या उसको अभिप्रेत, अवरोध या प्रतिबन्ध कारित करने वाले या चिकित्सा परिषदा सेवा संस्था की सम्पत्ति को नुकसान कारित करने वाले क्रियाकलाप अभिप्रेत है।

- हिंसा का प्रतिबन्ध 3. चिकित्सा परिषदा सेवाकार्मियों के विरुद्ध हिंसा का या चिकित्सा परिषदा सेवा संस्था में सम्पत्ति को कोई हानि कारित करने वाला कोई भी कृत्य इसके द्वारा प्रतिबन्धित किया जाता है।
- शारित 4. (1) जो कोई धारा 3 के अधीन कोई हिंसा करेगा अथवा करने का प्रयत्न करेगा, वह ऐसे अपराध के लिये कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकती या जुर्माने से, जो पचास हजार रुपये तक का हो

सकोगा, अध्याय दोनो से दण्डनीय होगा।

- (2) ऐसा कोई व्यक्ति उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट दण्ड के साथ-साथ क्षतिग्रस्त चिकित्सा उपकरणों के क्रय मूल्य और सम्पत्ति को क्षतिग्रस्त क्षति की रकम के दुगुने की क्षति का भी दायी होगा।
- (3) जो कोई इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किए जाने पर उसी उपबन्ध के अधीन अपराध के लिए पुनः दोषसिद्ध किया जायेगा, वह दूसरे और ऐसे प्रत्येक पर्याप्तार्थी अपराध के लिए उस अपराध के लिए उपबन्धित क्षति से दुगुनी क्षति से दण्डनीय होगा।
- (4) यदि शिकायत झूठी है अथवा किसी विद्वेषपूर्ण आशय से की गई है तो स्थान न्यायालय, विवेचना के उपरान्त ऐसे शिकायतकर्ता के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही कर सकेगी।
- (5) यदि ऐसे व्यक्ति द्वारा उपधारा (2) के अधीन क्षतिक रकम का संदाय नहीं किया जाता है तो ऐसी रकम भू-राजस्व की बकाया के रूप में असूल की जायेगी।

अपराध का संज्ञान	5.	धारा 3 के अधीन क्षतिक प्रत्येक अपराध संज्ञेय और अजमाननीय होगा तथा सुनवाई प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जायेगी।
अधिनियम का किसी भी अन्य विधि के अन्वीकरण में न होना	6.	इस अधिनियम के उपबन्ध तात्सम्य प्रयुक्त किसी भी अन्य विधि के उपबन्धों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके अन्वीकरण में।
अपवाद	7.	उत्तराखण्ड शिक्षित परिवर्धन सेवाकर्मी और सेवा संस्था (हिंसा और सम्पत्ति के क्षति का निवारण) अध्यादेश, 2011 के अन्तर्गत होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गयी कोई बात या कार्यवाही इस अधिनियम के तात्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गयी समझी जायेगी।

आज्ञा से,

डी० पी० वैरोला,  
प्रमुख सचिव।

No. 147/XXXVI(3)/2013/17(1)/2013

Dated Dehradun, April 01, 2013

**NOTIFICATION**

**Miscellaneous**

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of 'The Uttarakhand Medicare Service Persons and Institutions (Prevention of Violence and Damage to Property) Act, 2013' (Adhiniyam Sankhya 21, of 2013)

As Promulgated by the Governor of Uttarakhand and assented on 28 March, 2013.

**The Uttarakhand Medicare Service Persons and Institutions  
(Prevention of Violence and Damage to Property) Act, 2013**

[Uttarakhand Act No. 21 of 2013]

**An**

**Act**

to prohibit violence against Medicare Service Persons and damage to Property in Medicare Service Institutions.

Enacted by the Uttarakhand State Legislative Assembly in the Sixty-fourth Year of the Republic of India, as follows :-

- Short title.** 1. (1) This Act may be called the Uttarakhand Medicare Service  
**Extent and** Persons and Institutions (Prevention of Violence and Damage to  
**Commencement** Property) Act, 2013.
- (2) It extends to the whole of the State of Uttarakhand.
- (3) It shall come into force at once.
- Definitions** 2. In this Act, unless the context otherwise requires :-
- (a) 'Medicare Service Institutions' means all institutions providing medicare to people or through mobile medical unit or by arranging medical camps, which are under the control of State or

Central Government or Local Bodies etc. including any private hospital having facilities for treatment of the sick and used for their reception or stay, any private maternity home where women are usually received and accommodated for the purpose of confinement and ante-natal and post-natal care in connection with child birth or anything connected therewith, and any private nursing home used or intended to be used for the reception and accommodation of persons suffering any sickness, injury or infirmity whether of body or mind, and providing of treatment or nursing or both of them and includes a maternity home or convalescent home, etc. and an ambulance;

(b) **'Medicare Service Persons'** in relation to a Medicare Service Institutions, shall include :-

- (i) Registered Medical Practitioner, working in Medicare Institutions (including those having provisional registration);
- (ii) Registered Nurses;
- (iii) Auxiliary Nurse Mid-wife and General Nursing Midwife;
- (iv) Trained Dai;
- (v) Medical Students;
- (vi) Nursing Students; and
- (vii) Para medical and other auxiliary workers employed and working in Medicare Service Institutions;

(c) **'Offender'** means any person, who either by himself or as a member or as a leader of a group of persons or organization commits or attempts to commit or abets or incites the commission of violence under this Act;

(d) **'Property'** shall include both moveable and immovable property;

(e) **'Violence'** means activities of causing any harm, injury or endangering the life or intimidation, obstruction or hindrance to any medicare service person in discharge of duty in the Medicare Service Institution or patient or damage to property in the Medicare Service Institution.

**Prohibition of violence** 3. Any Act of violence against, Medicare Service Persons or damage to property in the Medicare Service Institutions is hereby prohibited.

**Penalty** 4. (1) Whoever commit or attempts to commit any violence under section 3, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years or with fine which may extend to fifty thousand rupees or with both.  
 (2) Any person in addition to the punishment specified in sub-section (1), shall be also liable to a penalty of double of the amount of purchase price of medical equipments damaged and loss caused to the property.  
 (3) Whoever, having been convicted of an offence under any provision of this Act is again convicted of an offence under the same provision, shall be punish, for the second and for each subsequent offence, with double the penalty provided for that offence.  
 (4) If the complaint is frivolous or has been made with mala fide intention, the competent court after trial may proceed against the complainant under the relevant provisions of the Indian Penal Code, 1860.  
 (5) If such persons does not pay the penal amount under sub-section (2), the said sum shall be recoverable as arrears of land revenue.

**Cognizance of offence** 5. Any offence committed under section 3, shall be cognizable and non-bailable and shall be triable by the Court of Judicial Magistrate of the First Class.

**Act not in derogation of any other law** 6. The provisions of this Act shall be in addition to and not in derogation of the provisions of any other law, for the time being in force.

**Savings** 7. Notwithstanding the lapse of the Uttarakhand Medicare Service Persons and Institutions (Prevention of Violence and Damage to Property) Ordinance, 2011 anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

By Order,

D. P. GAIROLA,  
Principal Secretary.